न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर मध्यप्रदेश

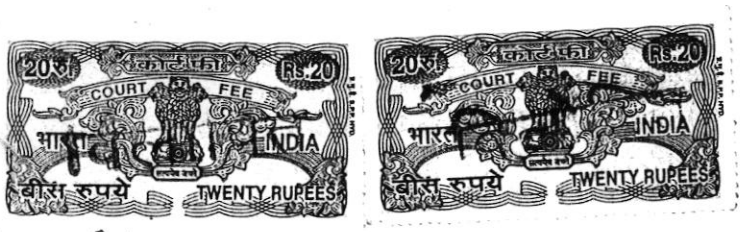

I/निगरानी/कटनी/भूरा/2017/4548

एस0एन0एस0 (मिनारल्स) लिमि0 मैहर तहसील मैहर जिला सतना म0प्र0 व्दारा आम मुख्त्यार एस0पी0 तिवारी तनय स्व0 श्री आर0के0 तिवारी निवासी रीवा रोड मैहर जिला सतना म0प्र0 ---

--- निगराकार

बनाम

शासन म0प्र0 व्दारा खनिज अधिकारी कटनी जिला कटनी म0प्र0 -- -- गैर निगराकार

न्यायालय कलेक्टर कटनी के रा0प्र0क0 02अ67/2010–11 में पारित आदेश दिनॉक 07–11–2017 के विरूद्ध निगरानी

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं01959

व्दारा आज दि. 20-11-17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 20-11-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

माननीयवर,

निवेदन है कि निगराकार योग्य अधीनस्थ न्यायालय के रा0प्र0क0 02अ67/10–11 में पारित आदेश दिनॉक 07–11–2017 से परिवेदित होकर अदालत हाजा मं जो यह निगरानी प्रस्तुत कर रहा है उसका संक्षिप्त विवरण यह है कि निगराकार को योग्य अधीनस्थ न्यायालय व्दारा कारण बताओ नोटिस दी गई थी कि जून 2002 से दिसम्बर 2006 तक कुल 4,18,862.6 मीट्रिक टन चूना पत्थर जिले से बाहर रेल्वे व्दारा भेजे जाने व उसकी रायल्टी अदा न किये जाने का लेख किया गया था जिसका जबाव निगराकार व्दारा विस्तृत रूप से दिया गया कि जून 2002 से दिसम्बर 2006 तक की अबधि में रेल्वे व्दारा 3,76,302.8 मीट्रिक टन ही प्रेषित किया गया है जिस सम्बन्ध में स्टेशन मास्टर नन्हवारा व्दारा प्रमाण पत्र भी दिया गया है। इस प्रकार से 42,523.8 मीट्रिक टन की मात्रा कारण बताओ नोटिस में अधिक दर्शायी गई है इसके साथ ही निगराकार ने जबाव में यह लेख किया कि निगराकार के व्दारा विभिन्न लोगों से चूना पत्थर कय कर रेल्वे व्दारा भेजा गया है और अनावेदक ने मात्र 34,116 मी0टन अपने चूना पत्थर की खदान से निकालकर भेजा गया है और उसकी रायल्टी अदा की गई है शेष जिन लोगों से चूना पत्थर निगराकार ने खरीदा है उसकी जिम्मेदारी रायल्टी अदा करने की उनकी है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण में निराकार ने यह आवे0पत्र दि0 31–10–2017 को प्रस्तुत किया कि निगराकार ने जून 2002 से मार्च 2005 तक 1,26,952.9 मी0टन चूना पत्थर रेल्वे बैगनों व्दारा कटनी जिले के नन्हवारा रेल्वे स्टेशन से भेजा गया है जिसमें 34,116 मीट्रिक

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक निगरानी / कटनी / भूरा / 2017 / 4548

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर
03–8–18	आवेदक के अधिवक्ता श्री के0 के द्विवेदी उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कलेक्टर जिला कटनी के प्रकरण कमांक 02 / अ–67 / 2010–11 में पारित अंतिरिम आदेश दिनांक 07.011.17 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2–आवेदक के अधिवक्ता एवं शासन के पैनल अधिवक्ता के तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय में आवेदक द्वारा प्रकरण के प्रचलन के समय दो आवेदन प्रस्तुत किये गये। प्रथम आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 01 नियम 10 सहपठित धारा 151 जा0 दी0 के तहत प्रस्तुत किया जाकर आवश्यक पक्षकार बनाये जाने हेतु अनुरोध किया। 3–प्रकरण के अवलोकन से यह भी प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण काफी लंबे समय से विचाराधीन है, ऐसी स्थिति में उनके द्वारा आवेदक को	

पक्षकार नहीं बनाया गया है और 1/10 का आवेदन कलेक्टर द्वारा निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। कलेक्टर का आदेश दिनांक 7.11.17 स्थिर रखे जाने योग्य है।

4—उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर जिला कटनी के प्रकरण कमांक 02/अ—67/2010—11 में पारित अंतिरिम आदेश दिनांक 07.011.17 में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। अतः उनका आदेश स्थिर रखा जाता है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से अग्राह की जाती है।

सदस्य